

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 28 जून, 2019

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत शेड्यूल आफ रेट्स के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 2706/अडतीस-7-2008-एनआरईजीए/2008 दिनांक: 28-11-2008 तथा सपठित शासनादेश संख्या-8162/अडतीस-7-2010-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 28-12-2010, शासनादेश संख्या-2012/अडतीस-7-2013-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 10-06-2013, शासनादेश संख्या-1369/अडतीस-7-2014-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 24-06-2014, शासनादेश संख्या-837/अडतीस-7-2015-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 01-05-2015, शासनादेश संख्या-649/अडतीस-7-2016-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 13-05-2016 एवं शासनादेश संख्या-343/अडतीस-7-2017-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 12-05-2017, शासनादेश संख्या-14/2018/890/अडतीस-7-2018-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 02-05-2018 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य के लिए शेड्यूल आफ रेट्स (एसओआर) निर्धारित किया गया था। शासनादेश संख्या-5/2019/879/अडतीस-7-2019-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 08-04-2019 द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रु० 182-00 निर्धारित की गयी है।

2- उक्त के दृष्टिगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए संलग्नक के अनुसार शेड्यूल आफ रेट्स की दरें पुनर्निर्धारित की जाती हैं। ऐसी मदें जिनका उल्लेख शेड्यूल आफ रेट्स (एसओआर) में नहीं हैं, उनके संबंध में विभागीय (सिचाई, लोक निर्माण एवं वन विभाग) दरें प्रभावी होंगी। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक- 28-11-2008, 28-12-2010, 24-09-2012, 10-06-2013, 24-06-2014, 01-05-2015, 13-05-2016, 12-05-2017 एवं 02-05-18 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक यथोक्त ।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या- 11/2019/1427(1)/अडतीस-7-2019-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- (2) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- (3) निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश ।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (5) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (6) वेब मास्टर, ग्राम्य विकास।
- (7) गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः, स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या - 1427-अडतीस/7-2019-42एनआरईजीए/2007 दिनांक: 28 जून, 2019 का संलग्नक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यों के लिए दर अनुसूची

क्र.सं.	कार्य का मद	एनआरईजीएस ग्राम्य विकास की दरें (रूपये में)	न्यूनतम मजदूरी दर ₹0 182.00 हेतु निष्पादित कार्य
1	न्यूनतम मजदूरी	182.00 182.00 (महिलाओं के लिए)	
2	साधारण मिट्टी में तालाब खोदने हेतु निष्पादित कार्य	91.00 प्रति घ0मी0 121.35 प्रति घ0मी0 (महिलाओं के लिए)	2.00 घ0मी0 1.50 घ0मी0 (महिलाओं के लिए)
3	झाड़ी सफाई क-हल्की झाड़ी ख-मध्यम/घनी झाड़ी	2.75 प्रति व0मी0 3.65 प्रति व0मी0	66 व0मी0 (11मी0x06मी0) 50 व0मी0 (10मी0x5मी0)
4	साधारण मिट्टी खुदाई का कार्य क-सड़क, राकीफल, डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालना ख-समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य ग-मिट्टी के ढेलों को तोड़ने तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग) करना। घ-खेत तालाब च-वृक्षारोपण गड्ढे 0.9x0.9x0.9मी0 साईज के गड्ढे 0.6x0.6x0.6 मी0 साईज के गड्ढे 0.45x0.45x0.45 मी0 साईज के गड्ढे 0.30x0.30x0.30 मी0 साईज के गड्ढे छ-अन्य कार्य	85.85 प्रति घ0मी0 121.35 प्रति घन0मी0 (महिलाओं के लिए) 63.85 प्रति घ0मी0 21.85 प्रति घ0मी0 120.55 प्रति घ0मी0 123.80 प्रति घ0मी0 123.80 प्रति घ0मी0 109.65 प्रति घ0मी0 109.65 प्रति घ0मी0	2.12 घ0मी0 1.50 घ0मी0 (महिलाओं के लिए) 2.85 घ0मी0 8.33 घ0मी0 1.51 घ0मी0 1.47 घ0मी0 (2.01 गड्ढे) 1.47 घ0मी0 (6.8 गड्ढे) 1.66 घ0मी0 (18.21 गड्ढे) 1.66 घ0मी0 (61.48 गड्ढे)
5	सख्त मिट्टी में मिट्टी खुदाई कार्य (बुन्देलखण्ड मीरजापुर क्षेत्र) क-रोड, राकफिल, डैम एवं तालाब से मिट्टी निकालना ख-समोच्च बन्धी हेतु मिट्टी खुदाई कार्य ग-मिट्टी के ढेलों को तोड़ना तथा समोच्च बन्धी के लिए बराबर (ड्रेसिंग)	105.80 प्रति घ0मी0 121.35 प्रति घ0मी0 (महिलाओं के लिए) 80.20 प्रति घ0मी0 25.50 प्रति घ0मी0	1.72 घ0मी0 1.50 घ0मी0 (महिलाओं के लिए) 2.27 घ0मी0 7.14 घ0मी0

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	करना। घ-खेत तालाब च-वृक्षारोपण गढ़दे 0.9x0.9x0.9मी0 मी0 साईज के गढ़दे 0.6x0.6x0.6 मी0 साईज के गढ़दे 0.45x0.45x0.45 मी0 साईज के गढ़दे 0.30x0.30x0.30 मी0 साईज के गढ़दे	156.90 प्रति घ0मी0 141.10 प्रति घ0मी0 141.10 प्रति घ0मी0 123.80 प्रति घ0मी0 123.80 प्रति घ0मी0	1.16 घ0मी0 1.29 घ0मी0 (1.76 गढ़दे) 1.29 घ0मी0 (5.96 गढ़दे) 1.47 घ0मी0 (16.15 गढ़दे) 1.47 घ0मी0 (54.44 गढ़दे)
6	साफ्ट डिस् इन्टीग्रेटेड राक स्वायल में खुदाई क-खेत तालाब ख-अन्य सभी कार्य	182.00 प्रति घ0मी0 165.45 प्रति घ0मी0	1.00 घ0मी0 1.10 घ0मी0
7	स्टोन वर्क क-स्टोन टैरेसिंग पैकिंग के लिए मजदूरी ख-खेत तालाब पर स्टोन पीचिंग ग-मिनी परकोलेशन टैंक पर पीचिंग घ-राकफिल, डैम, स्टोन चैक्स तथा आउट लेट्स	109.65 प्रति घ0मी0 245.95 प्रति घ0मी0 245.95 प्रति घ0मी0 109.65 प्रति घ0मी0	1.66 घ0मी0 0.74 घ0मी0 0.74 घ0मी0 1.66 घ0मी0
8	सामग्री चढाई एवं उतराई क-225 मि0मी0 एवं 300 मि0मी0 स्टोन क्वारी पर कलेक्शन सहित ख-बालू ग-ईट घ-सीमेन्ट च-पौधे	72.80 प्रति घ0मी0 145.60 प्रति ट्रैक्टर लोड 182.00 प्रति ट्रैक्टर लोड 3.65 प्रति बोरी 364.00 प्रति हजार	2.5 घ0मी0 1.25 ट्रैक्टर लोड 1.00 ट्रैक्टर लोड 50 बोरी 500 पौधे
9	मिट्टी कार्य व वीडिंग(1.0 मी0 व्यास एवं 0.1 मी0 गहराई) क- एवेन्यु रोपण ख- उद्यानीकरण	9.10 प्रति पौधा 9.10 प्रति पौधा	20 पौधा 20 पौधा
10	वृक्षारोपण कार्य क-सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन ख-गढ़दों का रेखांकन ट्रेंच एवं सी0पी0टी0 ग-कार्य स्थल तक ढुलाई घ-छोटे पौधों को कार्य स्थल से रोपड़ स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई च-बड़े पौधों को रोपण स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई छ-गढ़दों में पौधे लगाने व रीफिलिंग 0.30x0.30x0.30 मी0	23.65 प्रति 500 पौधे 36.40 प्रति सैकड़ा पौधे 36.40 प्रति सैकड़ा पौधे 36.40 प्रति सैकड़ा पौधे 65.45 प्रति सैकड़ा पौधे 0.90 प्रति पौधे	3846 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 500 पौधे 278 पौधे 200 पौधे

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	0.45x0.45x0.45 मी० 0.60x0.60x0.60 मी० 1x1x1 मी०	2.70 प्रति पौधे 5.35 प्रति पौधे 9.10 प्रति पौधे	67 पौधे 34 पौधे 20 पौधे
11	मिट्टी कार्य व वीडिंग (0.5 मी० व्यास एवं 0.1 मी० गहराई) क-समूह उद्यानीकरण/वृक्षारोपण ख-बायोडीजल पौध रोपण एवं अन्य रोपण	2.70 प्रति पौधा 2.70 प्रति पौधा	67 पौधे 67 पौधे
12	आकस्मिक पुनरोपण कार्य क-एवेन्यु उद्यानीकरण एवं समूहरोपण हेतु गद्दों को पुनः खोलना। ख-बैरनहिल वनीकरण एवं बायोडीजल पौध रोपण	9.10 प्रति पौधा 4.55 प्रति पौधा	20 पौधे 40 पौधे
13	प्रत्येक पौधे की देखरेख मिट्टी कार्य एवं बाड़ों की मरम्मत (ग्राम सभा की अनु०जाति/ जनजाति, बीपीएल पट्टेदार की भूमि पर लगाये गये पौधरोपण सहित)	182.00 रु० प्रतिदिन	एक दिन कार्य
14	बैरल हिल पर वनीकरण हेतु वायोफसिंग/स्टोन फेंसिंग कार्य क-नर्सरी/समूह रोपण (पौधों के कलेक्शन, ढुलाई एवं स्थल पर लगाने सहित) ख-एवेन्यु पौधरोपण (1 मी० व्यास एवं 1.5 मी० ऊँचाई की साइज के ह्यूम पाइप के स्थल पर ढुलाई सहित) ग-अनु०जाति/ जनजाति / बीपीएल /पट्टेदार की भूमि पर उद्यानीकरण। घ-अनु०जाति/जनजाति/बीपीएल /पट्टेदार की भूमि पर किये गये उद्यानीकरण के फेंसिंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए अनुरक्षण कार्य	18.20 प्रति रनिंग मी० 68.95 प्रति सं० 1740 प्रति एकड़ 435.00 प्रति एकड़	10 रनिंग मी० 2.64 स्थल - -
15	गहरी जुताई- क-फालो लैंड एवं हाईग्रवेल स्वायल (0.3 मी० से कम गहरी नहीं) के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना। ख-फालो लैंड (साधारण मिट्टी) (0.3मी० से कम गहरी नहीं) के लिए ट्रैक्टर प्रयुक्त करना।	1820.00 प्रति एकड़ 1456.00 प्रति एकड़	1/10 एकड़ 1/8 एकड़

	ग-साधारण मिट्टी में कैटिल कल्टी वेटर (दोहरी जुताई)	1092.00 प्रति एकड़	1/6 एकड़
16	डाइवर सहित ट्रैक्टर से सभी सामानों की दुलाई का किराया (8 घंटों के लिए)	1220.50 प्रतिदिन	
17	एक एकड़ में एक गड्ढा बनाकर उससे ब्लाक प्लान्टेशन में सिंचाई	1.30 प्रति पौधा	140 पौधे
18	पौधों की हैण्डपम्प /बोरवेल/ ओपेनवेल से सिंचाई 30 मी० की दूरी तक	1.30 प्रति पौधा	140 पौधे
19	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्डपम्प /बोरवेल/ ओपेनवेल/ग दूधों से सिंचाई 30 मी० से अधिक दूरी तक	1.80 प्रति पौधा	100 पौधे
20	खेत में ट्रैक्टर द्वारा सिल्ट छिड़कना	17.75 प्रति घ०मी०	10.25 घ०मी०
21	टोकरी द्वारा मिट्टी/बजरी की दुलाई लीड व लिफ्ट सहित क-10 मी० की प्रारम्भिक लीड के अतिरिक्त अन्य 10 मी० तक। ख-2.0 मी० की प्रारम्भिक लिफ्ट के अतिरिक्त अन्य 1.00 मी० तक	18.20 प्रति घ०मी० 18.20 प्रति घ०मी०	10 प्रति घ०मी० 10 प्रति घ०मी०